

राजस्थान सरकार  
निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प.8(ग)(119)नियम/डीएलबी/2024/3173

जयपुर,दिनांक: 28.02.2025

—:आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 31 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड/भवनों की वर्ष 2023-24 तक की बकाया लीज राशि (Lease Amount) एक मुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट वित्त (राजस्व) विभाग की आई डी संख्या 252500035 दिनांक 25.02.2025 पर प्रदत्त सहमति से निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

1. उक्त छूट आदेश प्रस्तारित किये जाने की दिनांक से दिनांक 30 सितम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगी।
2. पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा एवं जमा राशि लौटाई नहीं जाएगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)(119)नियम/डीएलबी/2024/3174-3840

जयपुर,दिनांक: 28.02.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. वरिष्ठ सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर।
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ, समस्त राज0।
8. आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ, समस्त राज0।
9. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राज0।
10. प्रोग्रामर आई. टी. सेल निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. अधीक्षक, केन्द्रिय लेखन एवं मुद्रालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान आदेश प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
12. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय।
13. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार  
निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प.8(ग)(119)नियम/डीएलबी/2024/3173

जयपुर,दिनांक: 28.02.2025

—:आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 31 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड/भवनो की वर्ष 2023-24 तक की बकाया लीज राशि (Lease Amount) एक मुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट वित्त (राजस्व) विभाग की आई डी संख्या 252500035 दिनांक 25.02.2025 पर प्रदत्त सहमति से निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

1. उक्त छूट आदेश प्रस्तारित किये जाने की दिनांक से दिनांक 30 सितम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगी।
2. पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा एवं जमा राशि लौटाई नहीं जाएगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)(119)नियम/डीएलबी/2024/3174-3840

जयपुर,दिनांक: 28.02.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. वरिष्ठ सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर।
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ, समस्त राज0।
8. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ, समस्त राज0।
9. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय निकाय विभाग, समस्त राज0।
10. प्रोग्रामर आई. टी. सेल निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. अधीक्षक, केन्द्रिय लेखन एवं मुद्रालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान आदेश प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
12. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय।
13. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी